	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। तहसीलदार माण्डल को निर्णय की पालना भिजवाते हुए लिखा जावे। तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा	
9/8/21	प्रार्थिया के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 C.P.C के तहत प्रस्तुत किया, पत्रावली को सिगह से तलब किया गया, एंव प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र पर बहस करनी चाही, बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 24.8.21 को पेश हो।	
24/8/21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 31.8.21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
31.8.21	पत्रावली पेश हुई, प्रार्थिया के अधिवक्ता ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 152 C.P.C बहस के दौरान आपने प्रा.पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक [illegible] को हुई लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त करा संशोधित आदेश पारित किये जाने की इस्तदुआ की।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:21:18 IST
Reason: SelfAttested

४ के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख आदेश … हुक्म … में …
	मैने प्रार्थिया के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया ऐव पत्रावली तथा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.8.21 ऐव तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट एवं नक्शे का अवलोकन किया जिसे स्पष्ट जाहिर आया कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे प्रार्थिया की आराजियात मे आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की आराजी सं. 5784 मे पूर्वी मेड के बजाय पश्चिमी मेड़ पर रास्ता दिये जाने की लिपिकिय त्रुटि होना अंकित है. अत: प्रार्थिया का प्रा-पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं, तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.8.21 मे निम्नांकित अनुसार संशोधन किया जाता है।	

:: संशोधित आदेश ::

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल मे स्थित प्रार्थिया की आराजी नं. 5783, 9436/5783 भूमि मे आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की आराजी नं. 5784 भूमि मे से पूर्वी मेड़ के बजाय पश्चिमी मेड़ के सहारे-सहारे 20 फीट चौड़ाई का रास्ता तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शे अनुसार दिये [illegible] का आदेश दिया जाता है। शेष आदेश यथावत [illegible] तहसीलदार मांडल को लिखा जावे। संशोधित आदेश आज दिनांक 31.8.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:21:18 IST
Reason: SelfAttested